न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)
ब इजलास कमल कुमार मीना (R.A.S.)

मुकदमा नं. 29 /18 दावा निर्णय दिनांक 20.12.201

1. मनोज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नयापुरा गांधी चौराह सांगोद तहसील सांगोद।
2. अमृतलाल पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम कुराड तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पूरणमल जाति नाई।
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र पूरणमल जाति नाई निवासी ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद हाल निवासी बैराज रोड बोहरा गली गढ पैलेस राधाविलास कोटा जिला कोटा।
3. संतोष पुत्री पूरणमल पत्नी विनोद कुमार जाति नाई निवासी म0न07एफ5 महावीर नगर तृतीय कोटा जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय दीगोद।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53.88.89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित — वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कमार कटारिया।

निर्णय

दिनांक 20-12-18

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा **53,88,89**, आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माल ग्राम **कुराड** तहसील कनवास के **खाता संख्या नई 108 की** खसरा नंबर 477 की 0.57 है0, खसरा नबंर 1310 की 0.05 है0, खसरा नबंर 1311 की 1.41 है0, खसरा नबंर 1312 की 1.74 है0, खसरा नबंर 1324 की 1.10 है0, इस प्रकार कुल किता 05 की कुल रकबा 4.87 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में ओमप्रकाश, चन्द्रप्रकाश, पुत्रान पूरणमल, संतोष, रामूबाई पुत्रिया पूरणमल के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है, इसी प्रकार माल ग्राम रेल तहसील दीगोद के खाता संख्या नई 20 के खसरा नबंर 766 की 0.11 है0, खसरा नबंर 767 की 0.07 है0, खसरा नबंर 772 की 9.55 है0, खसरा नबंर 799 की 0.26 है0, खसरा नबंर 800 की 1.0 है0, खसरा नबंर 804 की 4.71 है0, खसरा नबंर 820 की 0.14 है0, व खसरा नबंर 830 की 1.40 है0, इस प्रकार कुल किता 08 कि कुल 17.24 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में ओमप्रकाश, चन्द्रप्रकाश पुत्रान पूरणमल, सतोष, रामूबाई पुत्रिया पूरणमल के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है। उक्त कृषि भूमियो में से खातेदार रामूबाई ने उसके निहित 1/4 हिस्से की भूमि को वादीगण रजिस्टर विक्रय विलेख के द्वारा विक्रीत कर दिया है, जो कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज हो चुका है, वादीगण उनके द्वारा खरीद की गई भूमि पर मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि उक्त कृषि भूमियों के खातेदार ओमप्रकाश, चन्द्रप्रकाश, रामूबाई व संतोष के मध्य आपसी सहमति से उक्त कृषि भूमियों का मौके पर विभाजन हो चुका था, आपसी सहमति से हुए विभाजन के फलस्वरूप रामूबाई के हक में ग्राम कुराड में स्थित खसरा नबंर 477, 1310, 1311, 1312 की कुल रकबा 4.87 है0, कृषि भूमि व माल ग्राम रेल तहसील दीगोद में स्थित खसरा नबंर 830 की 1.40 है0, भूमि में से दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाल की तरफ से 35 मीटर चौडाई में 0.32 है0, भूमि आयी थी। आपसी सहमति के फलस्वरूप शेष बची ग्राम रेल तहसील दीगोद की भूमि प्रतिवादीगण ओमप्रकाश, चन्द्रप्रकाश व संतोष के हिस्से में आयी थी, आपसी सहमति से तत्कालीन खातेदारन के मध्य बनी सहमति से हुए विभाजन के उपरान्त वादीगण ने खातेदार रामूबाई से उसके 1/4 हिस्से की कृषि भूमियों को पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है, यद्यपि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 आपसी सहमति से हुए विभाजन के फलस्वरूप उनके हिस्से में आयी कृषि भूमियों पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे है, परन्तु राजस्व खाता शामलाती में होने की वजह से उन्हे अपनी कृषि भूमियों में विकास कार्य करवाने में परेशानियों का सामना करना पडता है, उक्त कृषि भूमियों का विधिवत विभाजन अभी तक नंही हुआहै। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 से उक्त कृषि भूमियों के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन के लिए कहा, तो पहले तो वे तैयार हो गये, परन्तु बाद में ना नुकर करने लगे, इसलिए वादीगण के लिए इसलिए वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है, कि वे प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मानीय न्यायालय में कृषि भूमियों के विभाजन, खातेदारी घोषणा आदि की सहायताए चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रातेवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की विभाजन, घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती के डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, कि आपसी सहमति से हुये विभाजन के फलस्वरूप वादीगण के हिस्से में आयी ग्राम कुराड तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 477 की 0.57 है, खसरा नबंर 1310 की 0.05 है0, खसरा नबंर 1311 की 1.41 है0, खसरा नबंर 1312 की 1.74 है0, खसरा नबंर 1324 की 1.10 है0, इस प्रकार कुल किता 05 की 4.87 है0, कृषि भूमि व माल ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नबंर 830 की 1.40 है0, कृषि भूमि में से दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाल की तरफ से 35 मीटर चौडाई में 0.32 है0, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, इसी प्रकार ग्राम रेल तहसील दीगोद में स्थित खसरा नबंर 76 की 0.11 है0, खसरा नबंर 767 की 0.07 है0, खसरा नबंर 772 की 9.55 है0, खसरा नबंर 799 की 0.26 है0, खसरा नबंर 800 की 1.00 है0, खसरा नबंर 804 की 4.71 हे0, खसरा नबंर 820 की 0.14 हे0, व खसरा नबंर 830 की शेष 1.08 हे0, भूमि का प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 03 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्तानुसार की कृषि भूमियों का कब्जा काश्त अनुसार विभजाजन किया जाकर राज लगान पृथक–पृथक किया जावे, तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी, प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 द्वारा दिनांक 25.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये एडवोकेट राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत राजीनामें में दानों पक्षकारों द्वारा निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के शामलाती खाते की ग्राम कुराड तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 477, 1310, 1311, 1312, 1324 इस प्रकार कुल किता 05 की 4.87 है0, कृषि भूमि व ग्राम रेल तहसील दीगोद में स्थित खसरा नबंर 766, 767, 772, 799, 800, 804, 820, व 830 इस प्रकार कुल किता 08 की कुल 17.24 है0, कृषि भूमि के बाबत वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के मध्य आपसी सहमति व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, तथा मुताबिक राजीनामा वादी व क्रम 01 लगायत 03 निम्न प्रकार कृषि भूमियों का विभाजन करवाने पर सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज

	खसरा नबंर	रकबा हैक्टयर
हिस्सा वादीगण माल ग्राम कुराड तहसील कनवास	477	0.57
	1310	0.05
	1311	1.41
	1312	1.74
	1324	1.10
कुल किता 05 की रकबा 4.87 है0,		
माल ग्राम रेल तहसील दीगोद	830	1.40 है0 में से 0.32 है0, भूमि दक्षिण पूर्वी कोने पर खाल की ओर से 35 मीटर चौडाई में
हिस्सा प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 माल ग्राम रेल तहसील दीगोद	766	0.11
	767	0.07
	772	9.55
	799	0.26
	800	1.00
	804	4.71
	820	0.14
	830	1.40 में से 1.08 है0, भूमि
	कुल किता 08 की कुल रकबा 16.92	

उपरोक्तानुसार राजीनामा दोनों पक्षकारों को पढकर सुनाया गया। पक्षकारों द्वारा राजीनामा सुना एवं सुनकर मुताबिक राजीनामें के आधार पर प्रकरण निर्णित करने में अपनी सहमति जाहिर की। राजीनामा तस्दीक कर बाद शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादीक्रम 01 लगायत 03 की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गयी। तथा प्रतिवादी क्रम 04 द्वारा दिनांक 02.08.18 को व प्रतिवादी क्रम 05 द्वारा दिनांक 23.08.18 जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद डिक्री किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नंही है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते है कि ग्राम कुराड के खसरा नबंर 477 की 0.57 है0, खसरा नबंर 1310 की 0.05 है0, खसरा नबंर 1311 की 1.41 है0, खसरा नबंर 1312 की 1.74 है0, खसरा नबंर 1324 की 1.10 है0, कुल किता 5 की रकबा 4.87 है0, तथा माल ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नबंर 830 की रकबा 1.40 कृषि भूमि में से दक्षिणपूर्वी कोने पर खाल की ओर से 35 मी0 चौडाई में 0.32 है0 कृषि भूमि का खातेदार कृषक वादीगण को एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को माल ग्राम रेल तहसील दीगोद की आरजी खसरा नबंर 766 की 0.11 है0, खसरा नबंर 767 की 0.07 है0, खसरा नबंबर 772 की 9.55 है0, खसरा नबंर 799 की 0.26 है0, खसरा नबंर 800 की 1.00 है0, खसरा नबंर 804 की 4.71 है0, खसरा नबंर 820 की 0.14 है0, खसरा नबंर 830 की 1.40 में से शेष 1.08 है0, भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कुराड के खसरा नबंर 477 की 0.57 है0, खसरा नबंर 1310 की 0.05 है0, खसरा नबंर 1311 की 1.41 है0, खसरा नबंर 1312 की 1.74 है0, खसरा नबंर 1324 की 1.10 है0, कुल किता 5 की रकबा 4.87 है0, तथा माल ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नबंर 830 की रकबा 1.40 कृषि भूमि में से दक्षिणपूर्वी कोने पर खाल की ओर से 35 मी0 चौडाई में 0.32 है0 कृषि भूमि का खातेदार कृषक वादीगण को एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को माल ग्राम रेल तहसील दीगोद की आरजी खसरा नबंर 766 की 0.11 है0, खसरा नबंर 767 की 0.07 है0, खसरा नबंबर 772 की 9.55 है0, खसरा नबंर 799 की 0.26 है0, खसरा नबंर 800 की 1.00 है0, खसरा नबंर 804 की 4.71 है0, खसरा नबंर 820 की 0.14 है0, खसरा नबंर 830 की 1.40 में से शेष 1.08 है0, भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कमल कुमार मीणा
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** मुकाम **कनवास**

ब इजलास कमल कुमार मीना (R.A.S.)

मुकदमा नं. 29/18 दावा **निर्णय दिनांक** 20.12.18

1. मनोज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नयापुरा गांधी चौराह सांगोद तहसील सांगोद।
2. अमृतलाल पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम कुराड तहसील कनवास।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पूरणमल जाति नाई।
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र पूरणमल जाति नाई निवासी ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद हाल निवासी बैराज रोड बोहरा गली गढ पैलेस राधाविलास कोटा जिला कोटा।
3. संतोष पुत्री पूरणमल पत्नी विनोद कुमार जाति नाई निवासी म0न07एफ5 महावीर नगर तृतीय कोटा जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय दीगोद।

–प्रतिवादी

दावा बाबत अर्न्तगत धारा 53,88,89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. **29/2018** सन **2018** तारीख फैसला 20.12.18 **न्यायालय ब इजलास कमल कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी **वादी की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री त्रिलोक विजय** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि ग्राम कुराड के खसरा नबंर 477 की 0.57 है0, खसरा नबंर 1310 की 0.05 है0, खसरा नबंर 1311 की 1.41 है0, खसरा नबंर 1312 की 1.74 है0, खसरा नबंर 1324 की 1.10 है0, कुल किता 5 की रकबा 4.87 है0, तथा माल ग्राम रेल तहसील दीगोद के खसरा नबंर 830 की रकबा 1.40 कृषि भूमि में से दक्षिणपूर्वी कोने पर खाल की ओर से 35 मी0 चौडाई में 0.32 है0 कृषि भूमि का खातेदार कृषक वादीगण को एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 को माल ग्राम रेल तहसील दीगोद की आरजी खसरा नबंर 766 की 0.11 है0, खसरा नबंर 767 की 0.07 है0, खसरा नबंबर 772 की 9.55 है0, खसरा नबंर 799 की 0.26 है0, खसरा नबंर 800 की 1.00 है0, खसरा नबंर 804 की 4.71 है0, खसरा नबंर 820 की 0.14 है0, खसरा नबंर 830 की 1.40 में से 1.08 है0, भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.12.18 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	---------NIL----- -		स्टाम्प वकालतनामा ""	---------NIL----- -	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा ""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""					
मुतफर्रिक ""			मुतफर्रिक ""		
मीजान ""			मीजान ""		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कमल कुमार मीना
कनवास जिला कोटा (राज०)
(आर.ए.एस)